स्टॉक लिमिट से काबू में रह सकती है चीनी

राम सहगल | मुंबई

शुगर प्रोड्यूसर कंपनियों पर स्टॉक लिमिट लगाने की सरकार की कवायद को इंडस्ट्री लॉबी आईएसएमए ने अप्रत्याशित करार दिया है। इससे बुधवार को खबर लिखे जाने के वक्त NCDEX पर दिसंबर 2016 के शुगर कॉन्ट्रैक्ट्स में 0.37 पर्सेंट मजबूती आई हुई थी। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर राम विलास पासवान ने वीकेंड पर ट्वीट किया था कि चीनी मिलें 2015-16 शुगर सीजन (अक्टूबर से सितंबर के बीच) में कुल उपलब्ध चीनी का 37 पर्सेंट से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकते। इसके साथ ही इस दौरान मिलों में मौजूद चीनी की 24 पर्सेंट से ज्यादा होल्डिंग लिमिट नहीं हो सकती है।इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (ISMA) के डायरेक्टर जनरल अबिनाश वर्मा ने कहा कि उनको सरकार के नोटिफिकेशन का इंतजार है। उनका मानना है कि सरकार ने यह कदम चीनी के दाम काबू में रखने के मसकद से उठाया है।

वर्मा ने कहा कि देशभर में स्थित 530 चीनी मिलों में 90 पर्सेंट को इस ऑर्डर का पालन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बाकी मिलों को दिक्कत हो सकती है और उसके चलते कीमतों में गिरावट आ सकती है। इस समय चीनी का खुदरा भाव पिछले साल के मुकाबले मुंबई में 52 पर्सेंट और दिल्ली में 40 पर्सेंट ऊपर है। मुंबई में चीनी का भाव 41 रुपये और दिल्ली में 42 रुपये प्रति किलो है। वर्मा के मुताबिक ओपनिंग स्टॉक के साथ सीजन के प्रॉडक्शन को मिलाने के बाद उसमें से एक्सपोर्ट घटाने पर चीनी की उपलब्धता का पता चलता है।